बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–16 / 2016– 3225 / कृ0, पटना, दिनांक 22-07-,2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2016–17 में 12977.00 लाख रूपये (एक सौ उनतीस करोड़ सतहतर लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से सामान्य वर्ग के लिए 10122.06 लाख रूपये (एक अरब एक करोड़ बाईस लाख छः हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2016–17 में 12977.00 लाख रूपये (एक सौ उनतीस करोड़ सतहतर लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से सामान्य वर्ग के लिए 10122.06 लाख रूपये (एक अरब एक करोड़ बाईस लाख छः हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोड मैप में जैविक खेती के आयामों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शामिल किये गये हैं। जैविक खेती आयामों की दृष्टि से पहले कृषि रोड मैप की तुलना में दूसरा कृषि रोड मैप अधिक व्यापक है।

3. दिनांकः 22.06.2010 को वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक के लिए जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम का 25536.526 लाख रूपये (दो अरब पचपन करोड़ छत्तीस लाख बावन हजार छः सौ रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृति दी गयी थी।

4. दूसरे कृषि रोड मैप (2012–17) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यक्रमवार कार्य योजना (अनुसूची–01) तथा निर्धारित अनुदान दर (अनुसूची–2) के अनुरूप स्वीकृति का प्रस्ताव है।

5. योजना में शामिल कार्यमदों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

- **वर्मी कम्पोस्ट** मिट्टी में पोषक तत्वों की समेकित रूप से उपलब्धता तथा जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को 75 घन फीट क्षमता के स्थायी / अर्द्धस्थायी उत्पादन इकाई पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000 रू0 प्रति इकाई की दर से अनुदान देने का प्रस्ताव है। एक किसान अधिक से अधिक 05 इकाई के लिए अनुदान का लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी / सरकारी प्रतिष्ठानों को सहायता का प्रस्ताव है। वर्मी कम्पोस्ट वितरण में मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 300 रू0 / क्विं0 की दर से अधिकतम 02 हेक्टेयर के लिए अनुदान के प्रावधान का प्रस्ताव है। व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु निजी उद्यमी को प्रतिवर्ष 1000, 2000 एवं 3000 मे0 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के लिए लागत मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 6.40, 12.80 एवं 20.00 लाख रूपये क्रमशः अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जो पाँच किस्तों में प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का कम–से–कम 50 प्रतिशत उत्पादन करने के उपरांत देय होगा अर्थात् कुल अनुदान राशि का प्रथम वर्ष में 30 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 20 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 20 प्रतिशत,

चतुर्थ वर्ष में 15 प्रतिशत एवं पंचम वर्ष में 15 प्रतिशत अनुदान राशि देने का प्रावधान किया गया है। सरकारी प्रतिष्ठानों को प्रतिवर्ष 1000, 2000 एवं 3000 मे0 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के लिए लागत मूल्य का शत्–प्रतिशत अधिकतम 16.00, 32.00 एवं 50.00 लाख रूपये क्रमशः अनुदान देने का प्रावधान है।

- **जैव उर्वरक** पोषक तत्वों को जमीन में स्थिर करने तथा इसे पौधों को उपलब्ध कराने में उपयोगी है। जैव उर्वरक उत्पादन इकाईयों की स्थापना हेतु अनुदान दर स्वीकृति का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत जो किसान जैव उर्वरक खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 75 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दर प्रस्तावित की गई है। व्यावसायिक जैव उर्वरक में सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान देने का प्रावधान प्रस्तावित है।

- **हरी खाद** के रूप में ढैंचा तथा मूंग की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। गरमा/पूर्व खरीफ 2016 के लिए इस कार्यक्रम में ढैंचा बीज 90 प्रतिशत तथा मूंग का बीज 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मद की राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी.टी.सी.–46 प्रपत्र पर कर बिहार राज्य बीज निगम को उनके पी.एल. खाता संख्या– 271 में स्थानान्तरित की जायेगी।

- **गोबर/बायो गैस** के प्रोत्साहन के लिए किसानों को अनुदान राशि दी जायेगी। गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 02 घनमीटर क्षमता के लिए इसके लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 19000 रू0 प्रति इकाई की दर से अनुदान देने का प्रावधान है। संयंत्र की स्थापना के लिए टर्न की सर्विस प्रोवाईडर को 1500 रूपये प्रति इकाई पूर्व की तरह सहायता देने का प्रस्ताव है।

- **सूक्ष्म पोषक तत्व** समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरॉन आदि के व्यवहार से फसल उत्पादन बढ़ेगा। इस उद्देश्य से जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरॉन आदि की कमी हो रही है वहाँ किसानों को इनके व्यवहार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

- **समेकित कीट प्रबंधन** की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीज का उपचार आवश्यक है। बीज के उपचार की तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को बीजोपचार रसायन पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रूपये प्रति हेक्टेयर सहायता का प्रस्ताव है। फसलों के लिए कुछ अत्यंत नुकसानदेह कीड़े जैसे चना का पिल्लू (पॉड बोरर), बैगन का पिल्लू (सूट एण्ड फ्रूट बोरर) आदि के नर कीट को फिरोमोनट्रेप लगाकर फँसाया जा सकता है तथा इसकी आबादी को बढ़ने से रोका जा सकता है। यह नयी तकनीक है। इसके प्रति रूझान बढ़ाने के लिए मूल्य का 90 प्रतिशत अधिकतम 900 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देने का प्रस्ताव है। रासायनिक कीटनाशी/फफुंदनाशी के व्यवहार से पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जैविक विकल्प अपनाना आवश्यक हैं। इनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रूपये प्रति हेक्टेयर की सहायता देने का प्रस्ताव है।

- **जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण** किसानों/उत्पादकों का समूह बनाकर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार जैविक खेती के लिए निर्धारित पैकेज पर अनुदान देकर अंगीकरण कराकर प्रमाणीकरण कराने का प्रस्ताव है। जैविक खेती के अंगीकरण का कार्यान्वयन निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा और प्रमाणीकरण संबंधी अन्य सभी कार्य निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावित मद की राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी.टी.सी.–46 प्रपत्र पर कर बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना को उनके पी0एल0 खाता संख्या–269 में स्थानान्तरित की जायेगी।

6. किसानों को सभी प्रकार की सहायता किसान मेला लगाकर/शिविर में दिया जायेगा। किसान मेला/शिविर में उत्पाद की गुणवत्ता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किया जायेगा। किसान अपनी पसंद से किसी भी निर्माता/विक्रेता से गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीद सकेंगे। भारत सरकार द्वारा तय मानक के अनुरूप उत्पाद की गुणवत्ता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। विशिष्ट मामलों में जहाँ भारत सरकार द्वारा मानक तय नहीं किया गया है, वहाँ कृषि निदेशक के स्तर पर वैज्ञानिकों की राय लेकर राज्य के किसानों के हित में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकेगा।

7. योजना के अधीन प्रस्तावित कार्यमदों पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई/वर्मी कम्पोस्ट/जैव उर्वरक वितरण/गोबर गैस/सूक्ष्म पोषक तत्व को जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। समेकित कीट प्रबंधन से संबंधित कार्यमदों का कार्यान्वयन विभागीय पौधा संरक्षण संभाग से किया जा सकता है। हरी खाद योजना को जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा तथा इसमें बिहार राज्य बीज निगम को बीज आपूर्त्ति की जवाबदेही दी गई है।

8. योजनांतर्गत कार्यक्रमवार लक्ष्य से संबंधित विवरणी **अनुसूची–3** पर संलग्न हैं। विशिष्ट परिस्थितियों जैसे किसी खास जिला में किसी खास मद के प्रति किसानों के रूझान/वैज्ञानिक अनुशंसा के आलोक में कार्यमद की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए विभागीय अनुमोदन के बाद जिलों के लक्ष्य को संशोधित भी किया जा सकता है। योजना में स्वीकृत राशि की सीमा में कार्यमदों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

9. योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के अन्तर्गत निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जायेगा।

10. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा अनुदेश में परिवर्तन किया जा सकता है तथा प्रस्तावित कुल वित्तीय सीमा के अन्दर एक घटक योजना के लक्ष्य को दूसरे घटक योजना में भी प्रशासी विभाग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

11. निकासी के लिए स्वीकृत 10122.06 लाख रूपये (एक अरब एक करोड़ बाईस लाख छः हजार रूपये) का व्यय "मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–105–खाद तथा उर्वरक–मांग सं०–1–उपशीर्ष–0106–जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड– P2401001050106, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR-5035, विषय शीर्ष– 33 01 सब्सिडी" में वर्ष 2016–17 में उपबंधित 10122.06 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

12. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांकः 05.07.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–16/2016 के पृ0सं0– 24/टि. पर प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–16/2016 के पृ0सं0–26/टि. पर दिनांक– 14.07.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम) 20/7/16

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3225 /कृ0, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/16

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

G:\Rajyadesh (Cabinet)\Jaivik Kheti sansodhit 20.05.16.docx

ज्ञापांक 3225 / कृ0, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3225 / कृ0, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3225 / कृ0, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी संयुक्त कृषि निदेशक / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

G:\Rajyadesh (Cabinet)\Jaivik Kheti sansodhit 20.05.16.docx